मुकदमा नं. अपील                                                    क्र.पृ. 93

| | |
|---|---|
| 18/09/17 | अपीलांट की ओर से वकील श्री सांवरमल उपस्थित। अपील विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 14/07/2017 मु.नं. 2/17 अनुवानी सरकार बनाम भंवरलाल के पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पो. को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 09/10/17 को पेश हो। |
| 09/10/17 | पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट व सरकारी पैरोकार उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड प्राप्त हो चुका है प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18/09/17 को अंतरिम स्थगन बाबत ग्राम बुजियानाऊ के ख.नं. 19 रकबा 0.15 हे. किस्म गै.मु. रास्ता का सीमाज्ञान करके ही बेदखली कार्यवाही नियमानुसार करे एवं जब तक सीमाज्ञान नहीं किया जावे, तब तक बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष के अपील निस्तारण के आग्रह पर बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना सीमाज्ञान किये बेदखली आदेश पारित करने पर आपत्ति है। अधिवक्ता उभयपक्षकारान का कथन है कि प्रकरण रास्ते से संबंधित है जिसका सीमाज्ञान कर बेदखली की कार्यवाही की जावे। अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14/07/17 के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में मौके की वर्तमान स्थिति का उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया जाकर ही नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल |



अति. जिला कलक्टर, सीकर